FORM 111

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, पाटन बनाम गै.मु.रास्ता (पाटन)

किस्म मुकदमा :– गै.मु.रास्ता धारा 131, 132 मु0नं0 ५५। सन् 2024 जीसीएमएस नं.

| तारीख | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 024 | पत्रावली तहसीलदार, पाटन से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गै.मु.रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.8. 2016 की पालना में तहसीलदार, पाटन के पत्रांक भू.अ. / 2023 / 418 दिनांक 23.06.2023 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम **पाटन** पटवार मण्डल **पाटन** तहसील **पाटन** स्थित भूमि खसरा नम्बर **817 किस्म बजंड़ में से 04 मीटर चौड़ा व 290 मीटर लम्बाई** का प्रस्ताव तहसीलदार पाटन से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। रास्ते के फोटो ग्राफ, गुगल नक्शा सलंग्न पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। जिस भूमियों में से रास्ता प्रस्तावित किया है वह राज्य सरकार की भूमि है। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br><br>अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, पाटन के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एवं नक्शें में तरमीम की जावें। तहसीलदार, पाटन द्वारा [illegible] प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख [illegible] दरामद हेतु तहसीलदार, पाटन को तहरीर जारी की [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर [illegible]<br><br>(राजवीर सिंह यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमकाथाना | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.04.22 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner